

No. WII/RTI/CPIO/2021-22 (Qtr-III)/61

Date: 17th November, 2021

To,

Mr. Satyavir Singh Yadav
16, Harsh Vihar
Near Rani Bagh, Pitampura
Delhi - 110034

Sub.: Information under RTI Act, 2005-reg.

Ref.: Your RTI Application No. --- dated 20 October, 2021

Sir,

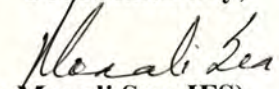
Please refer to your application cited above under RTI Act, 2005. In this context, point-wise response to your queries is given below:

Information Sought under RTI	Reply
1. Regarding revision of the existing Management Plan (2010-11 to 2021-22) of Okhla Bird Sanctuary, Gautam Buddha Nagar, UP for the next period (2021-22 to 2030-31) by Wildlife Institute of India, Dehradun:	
a) Dates of the past visits by the concerned authorities (Director/concerned HoD) of WII to the Sanctuary reg revision of the management plan for the next period of ten years (2021-22 to 2030-31).	Information not available.
b) Name of the concerned department of WII responsible for making any Management Plan for any PA on request & payment of requisite amount of charge/fee to WII.	
c) Tentative/ final plan by WII to revise the existing Management Plan for the next period of ten years (2021-22 to 2030-31). Photocopy of the WII plan.	See the attached Anex-I & Annex-II.
d) Approx time for revision of Management Plan (2021-22 to 2030-31).	
e) Approx amount of charge/fee for revision of the Management Plan for the period (2021-22 to 2030-31) by WII.	

If you are not satisfied with the aforesaid reply, you may appeal to the Dr. Dhananjai Mohan, Director & Appellate Authority, Wildlife Institute of India, Post Box 18, Chandrabani, Dehradun – 248 001, Ph. 0135-2640910.

Thanking you,

Yours faithfully,


(Dr. Monali Sen, IFS)
N.O. & CPIO (RTI)

Encl.: as above.

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 836 / 147 दिनांक मेरठ 10, सितम्बर, 2020

सेवा में,

निदेशक,
भारतीय वन्य जीव संस्थान,
देहरादून।

विषय:- ओखला पक्षी विहार की आगामी दस वर्षीय प्रबन्ध योजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर का पत्रांक 3010/5-1 दिनांक 24.01.2020 एवं पत्रांक 800/35-5 दिनांक 05.09.2020।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर का संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2020 जो आपको संबोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ने अवगत कराया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा ओखला पक्षी विहार की प्रबन्ध योजना माह अप्रैल 2011 से माह मार्च 2021 तक तैयार की गयी थी। उक्त प्रबन्ध योजना का अनुमोदन वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक का प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव लखनऊ, लखनऊ द्वारा अपनी पत्र संख्या 2149/7-4-9, दिनांक 25.01.2012 द्वारा किया गया है जिसकी अवधि मार्च 2021 में समाप्त हो रही है।

अतः आगामी दस वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2032-33) हेतु ओखला पक्षी विहार की दस वर्षीय प्रबन्ध योजना तैयार करने का कष्ट करें, तथा इसको तैयार करने में अनुमानित व्यय की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्रांक 800/35-5 दिनांक 05.09.2020 से अवगत कराया है कि प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध है।

भवदीय

Plenali Sen
INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

(एन0के0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक दिनांक

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को लिखने की कृपा करें

2-प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dr. R. Suresh Kumar / Dr. Gopi C.V.

Pl. discuss

(एन0के0 जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।



पत्र सं WII/DWII/MISC/2020

सेवा में,

श्री एन० के० जानू०, भ०व०से०,
वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र,
223/1 सिविल लाइन
मेरठ - 250 001

विषय - ओखला पक्षी अभयारण्य प्रबंधन योजना की तैयारी (2022-2032) के सम्बन्ध में -

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 836/147 दिनांक 10 सितम्बर 2020

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) को 2022 और 2032 के बीच की अवधि के लिए ओखला पक्षी अभयारण्य (ओबीएस) के प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आमंत्रित करने के अधोहस्ताक्षरी धन्यवाद करता है। संस्थान ने इससे पहले 2011 और 2021 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओबीएस प्रबंधन योजना तैयार की थी।

चूंकि WII द्वारा तैयार की गई इस मौजूदा OBS प्रबंधन योजना का महज पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, वन विभाग इस संशोधन को स्वयं कर सकता है क्योंकि वे अवसायी योजना अवधि के दौरान प्रबंधन के हस्तक्षेप के बारे में बेहतर जानते होंगे। संस्थान प्रबंधन योजना का पुनरीक्षण करते समय आवश्यक किसी भी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

धन्यवाद,

Floralis Des
INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

भवदीय

(Signature)
08/10
(डॉ. धनंजय मोहन)

निदेशक.

प्रतिलिपि -

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश वन विभाग, लखनऊ.
2. प्रभागीय वनाधिकारी गौतम बुद्धनगर वन प्रभाग, गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
3. डॉ. जी० वि० गोपी०, वैज्ञानिक-E, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून

(Signature)